प्रेसनोट

दिनांक 29.06.2026

थाना वजीरगंज व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त टीमों द्वारा 01 वांछित हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे का हसिया बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त टीमों द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-256/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त संदीप सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बद्री सिंह निवासी ग्राम चाचापुरवा दुर्जनपुरघाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चंदापुर की तरफ जाने वाली पक्की सड़क से गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर 01 अदद लोहे का हसिया(आलाकत्ल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.06.2026 को रात्रि लगभग 09:30 बजे थाना वजीरगंज को ग्राम दुर्जनपुर में एक व्यक्ति (आजाद सिंह) को पुरानी रंजीश को चाकू मारकर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना वजीरगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुचकर घायल को उपचार हेतु सीएचसी वजीरगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वॉड द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एसओजी / सर्विलांस सहित कुल चार टीमों का गठन किया गया है। आज दिनांक 29.06.2026 को थाना वजीरगंज व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त टीमों द्वारा नामजद हत्याभियुक्त संदीप सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बद्री सिंह निवासी ग्राम चाचापुरवा दुर्जनपुरघाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चंदापुर की तरफ जाने वाली पक्की सड़क से गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर 01 अदद लोहे का हसिया बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बद्री सिंह निवासी ग्राम चाचापुरवा दुर्जनपुरघाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

सम्बन्धित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 256/2026, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

सम्बन्धित अभियोग-

01. 01 अदद लोहे का हसिया(आलाकत्ल) बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री विपुल पाण्डेय थाना वजीरगंज, गोण्डा।
02. एसओजी/सर्विलास प्रभारी श्री मनीष कुमार मय टीम।
03. हे0का0 रोबिन सिंह
04. का0 सुशील सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 29.06.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गुगल पे के माध्यम से रूपये चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 -131/2026, धारा 303(2), 318(4) बीएनएस से संबंधित गुगल पे के माध्यम से रूपये चोरी करने के आरोपी अभियुक्त- प्रवेश शुक्ला पुत्र जुगेश्वर प्रसाद शुक्ला निवासी देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम देवरिया कला के आगे कार वाशिंग सेन्टर के कुछ दुरी से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी सालिकराम तिवारी पुत्र त्रिलोकी नाथ तिवारी निवासी ग्राम चहुवा दुल्हापुर पहाड़ी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 03.06.2026 को थाना खरगूपुर पर सूचना दिया गया उसका खाद बीज का दुकान है एक अज्ञात व्यक्ति मेरे दुकान पर सामान लेने आया तथा चोरी से मेरे गुगल पे का पासवर्ड देख लिया था , जब मै दुसरे ग्राहक का सामान निकालने लगा तभी उक्त व्यक्ति द्वारा काऊंटर पर रखे मोबाइल से रु0- 10,000/- चोरी से ट्रांसफर कर लिया वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 131/2026, धारा 303(2), 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 29.06.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रवेश शुक्ला पुत्र जुगेश्वर प्रसाद शुक्ला निवासी देवरियाकला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम देवरिया कला के आगे कार वाशिंग सेन्टर से कुछ दुरी पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रवेश शुक्ला पुत्र जुगेश्वर प्रसाद शुक्ला निवासी देवरियाकला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0 -131/2026, धारा 303(2), 318(4), 317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 पंकज कुमार
02. का0 पवन यादव
03. का0 सत्यजीत मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 29.06.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रूपये 30,500/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 06.04.2018 को थाना कटराबाजार क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा मेरे घर में घुस आये और उसकी बहू, पुत्री, व पोती पर गलत नियत से हमला किया और जब सोर मचाने लगे तो विपक्षियों द्वारा लाठी डन्डा से मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 01. हसनैन खां पुत्र रमजान, 02. कलीम अहमद खान उर्फ लल्लू पुत्र रमजान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.06.2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 29.06.2026 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गोण्डा श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0कां0 वंदना कुमारी, थाना कटराबाजार के पैरोकार कां0 सुनील शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तों 01. हसनैन खां पुत्र रमजान, 02. कलीम अहमद खान उर्फ लल्लू पुत्र रमजान को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 30,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. हसनैन खां पुत्र रमजान निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. कलीम अहमद खान उर्फ लल्लू पुत्र रमजान निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-98/2018, धारा 323, 354, 452,308/34, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.06.2026

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, घर-घर पहुंचकर 187 वारिष्ठ नागरिको की समस्याएं सुनकर किया गया निस्तारण-

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट बनायी गयी है जो नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का 02 विशेष वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार, शानिवार) पर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी कुशलक्षेम जानी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सी०पी०यू० टीमों को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई करें। उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2026 को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 187 वरिष्ठ नागरिकों से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 03, को0 देहात के 05, खरगूपुर के 10, इटियाथोक के 24, धानेपुर के 07, मोतीगंज के 11, मनकापुर के 23, छपिया के 20, खोड़ारे के 06, तरबगंज के 04, थाना उमरीबेगमगंज के 05, वजीरगंज के 22, नवाबगंज के 10, को0 कर्नलगंज के 06, कौड़िया के 05, परसपुर के 07, कटराबाजार के 16 तथा महिला थाना के 03 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का कुशलक्षेम जाना गया, तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।